कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1537/12–1 देहरादूनः दिनांकः 29–नवम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 योजना में बैजनाथ–बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी0 11.00 रवाईखाल बुढ़गढ़––थकलाड–बिल्लेख मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 06.953 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।**
(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/47031/2020)

सन्दर्भ :– भारत सरकार की पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/61/2023/एफ0सी0/562 दिनांक 01–08–2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से प्रेषित आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 1495/12–1–2 दिनांक 21–10–2024 से वन संरक्षक के माध्यम से प्रेषित ऑख्या इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गई है–

क्र0सं0	आपत्ति	अनुपालन आख्या
1	As per DSS analysis the proposed CA area has MDF in 9.00 Ha. The DFO shall inspect the area and submit the suitability of plantation.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 1495/12–1–2 दिनांक 21–10–2024 से अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित नायल वन पंचायत भूमि का उनके द्वारा दिनांक 11.10.2024 को सथलीय निरीक्षण किया गया जिसकी SIR संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2	CA proposed over van panchayat land as per SDO Bageshwar Latter Dt. 10-09-2023 the said land has become under 9(3)A land. The state government is required to clarify that before notification van panchayat land, what was the legal status of the said land.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 1495/12–1–2 दिनांक 21–10–2024 से अवगत कराया गया है कि उक्त नायल वन पंचायत भूमि के legal status के सम्बन्ध में उप–जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम नायल के गैर ज0वि0खतौनी में बन्दोबस्त से ही श्रेणी 9(3)क फारेस्ट पंचायत के नाम दर्ज है। ग्राम नायल में वन पंचायत का गठन दिनांक 28.01.1943 में होना अभिलिखित है। **(संलग्नक–2)**

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त द्वारा प्रेषित सूचना के कम में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशाधित 2023 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1537/12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, अल्मोड़ा।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संलग्नक-1

प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 योजना में बैजनाथ–बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी0 11 रवाईखाल से बुढ़गढ–थकलाड़–बिल्लेख मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 06.953 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्तावं संख्या –47031/2020) में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आपने पत्रांक सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/61/2023/एफ0सी0/ दिनांक 1.08.2024 द्वारा EDS में लगायी गयी आपत्ति के बिन्दु संख्या 01 में As per DSS analysis the proposed CA area has MDF in 9.00 ha. The DFO shall inspect the area and submit the suitability of plantation.. के कम में अवगत कराना है, कि नायल वन पंचायत क्षेत्र का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.10.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें देखा कि उक्त क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। उक्त चयनित भूमि में 1000 पौध प्रति है0 वृक्षारोपण किया जा सकता है।

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

संलग्नक-2

सामान्य
19/9/2024

कार्यालय उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।

दिनांक–13 सितम्बर, 2024

संख्या–804 /रा0अ0–भूमि प्रस्ताव/2022–23

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 योजना में बैजनाथ–बेरीनाग मोटर मार्ग के कि0मी0 11 रवाईखाल से बुढगड–थकलाड़–बिल्लेख मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 06.953 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यवर्तन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या–987/12–1–2 दिनांक–04.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उपर्युक्त विषयक मोटर मार्ग के निर्माण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वन पंचायत भूमि ग्राम नायल के सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त आपत्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम नायल तहसील बागेश्वर अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार, बागेश्वर व वन पंचायत निरीक्षक से आख्या प्राप्त की गयी।

तहसीलदार, बागेश्वर के माध्यम से प्रेषित आख्या में अवगत कराया गया है कि ग्राम नायल राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र काण्डे तहसील बागेश्वर अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम नायल के गैर ज0वि0खतौनी में बन्दोबस्त से ही श्रेणी 9(3) क फौरेस्ट पंचायत के नाम दर्ज है। ग्राम नायल में वन. पंचायत का गठन दिनांक–28.01.1943 में होना दर्ज अभिलेख है। चयनित भूमि की खतौनी संलग्न है।

अतः उक्तानुसार प्रकरण में तहसीलदार, बागेश्वर के माध्यम से प्राप्त आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।

19/9/2024 1220

12-1-2

भवदीय

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर।

418

सेवा में,

उपजिलाधिकारी महोदय,
बागेश्वर।

द्वारा– तहसीलदार महोदय बागेश्वर।

विषयक– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 योजना में वैजनाथ–वेरीनाग मोटर मार्ग के की0मी0 11 (रवाईखाल) से बुडगण–थकलाड़–विलेख मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु 6.953 है0 वन भूमि का गैर वानिकीय कार्यो हेतु लो0वि0नि0 का प्रत्यावर्तन बावत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महोदय के कार्यालय पत्रांक दिनांक 05.09.2024 व तहसीलदार महोदय बागेश्वर के आदेश 2098 दिनांक रहित का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, प्रकरण में अभिलेखो के अवलोकन से विदित है कि वन पंचायत नायल राजस्व उप निरीक्षक काण्डे में वन पंचायत काण्डे का गठन दिनांक 28.01.1943 मे होना दर्ज अभिलेख है , जिसके सन्दर्भ में अवगत कराना है कि बन्दोबस्ती अभिलेख गैर ज0वि0 खतौनी खाता सख्या 30 में वर्णित भूमि दर्ज अभिलेखों में है, जिसकी खतौनी संलग्न पत्रावली है।

अतः उक्तानुसार आख्या सेवा मे सादर प्रेषित।

राजस्व उपनिरीक्षक
काण्डे
07/09/2024

वन पंचायत निरीक्षक
बागेश्वर।
07-09-24

2098/24

महोदय,
जांच रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रेषित।

07/09/24

पत्रांक संख्या 518 दि० 31/8/24

सेवा में, श्रीमान तहसीलदार महोदय बागेश्वर,

विषय-: जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत एस० सी० एस० पी० योजना में लैजनाथ बैरीनाग मोटरमार्ग के कि.मी. 11 (रवाईखाल) से लुटगाड़-धमलाड़-बिल्लेख मोटरमार्ग के निर्माण हेतु 6.953 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

महोदय,
उपरोक्त विषयक आपके पृष्ठांकित आदेश के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि ग्राम नायल राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र काण्डे तहसील व जिला बागेश्वर अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि ग्राम नायल के गैर ज० वि० खतौनी में बन्दोबस्त से ही श्रेणी 6(3) क नौट पंचायत के नाम दर्ज है। चयनित भूमि की खतौनी संलग्न है।

अतः सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्न- 01 लगायत 03 वर्क।

राजस्व उपनिरीक्षक काण्डे
30/08/2024
तहसील बागेश्वर

2061/24

महोदय,

राजस्व उपनिरीक्षक काण्डे की जाँच आख्या सेवा में सादर प्रेषित।

RA.

31/8/24.

गैर ज०लि० खतौनी ग्राम नायल राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कांडे धारा ९ (३) क फौरेस्ट पंचायत - तहसील व जिला बागेश्वर।

नाम खातेदार	खेत नं०	रकबा	विवरण
फौरेस्ट पंचायत	८७	६२	
	८८	८८॥	
	४६७	११-	
	५४४	२०६॥	
	५४५	१२४॥	
	५५०	३००	
	५५१	१२५	
	५५२	२८८॥	
	क्रमशः	क्रमशः	
	२५१५	१६५॥-	
	२५१६	२६॥	
	२५१७	१२६।	
	२५१८	४॥।	
	२५१९	३८८	
	२५२१	१३॥	
	२५२३	२	
योग --	६१	२६७४॥=	

महोदय,
खतौनी नकल असल खतौनी से तैयार की।

[illegible]
रा०उ०नि० कांडे
31/08/2025
तह० बागेश्वर।